रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 07, 2014/पौष 17, 1935
No. 08] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 07, 2014/PAUSHA 17, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2014

सं.एल–1/18/2010–केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010, जिसमें उसका पहला संशोधन भी है (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र 17.2.2014 से प्रवृत होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 2 के उप–विनियम (1) के खंड (छछछछ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(जजजज) 'विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 जिसमें उसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन भी है, अभिप्रेत है;

(झझझझ) 'पूलिंग केन्द्र' से ऐसा उप–केन्द्र अभिप्रेत है जहां वैयक्तिक पवन उत्पादकों या सौर उत्पादकों के उत्पादन की पूलिंग अगले उच्च वोल्टॉज स्तर से इंटरफेसिंग करने के लिए की जाती है :

परंतु यह कि जहां पवन/सौर उत्पादक के लिए कोई अलग पूलिंग केन्द्र नहीं है और उत्पादन केन्द्र सामान्य फीडर के माध्यम से जोड़ा गया है और वितरण कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के उप केंद्र पर पर्यवसित किया गया है, वहां वितरण कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के उप-केन्द्र को, यथास्थिति, ऐसे पवन या सौर उत्पादक के लिए पूलिंग केन्द्र के रूप में समझा जाएगा।"

3. **मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधन :**

(1) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपनियम (च) (ii)(क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

"50.5 एचजेड से नीचे ग्रिड फ्रिक्वेंसी में सुधार के मामले में उत्पादन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए (उदाहरण के लिए यदि ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.9 से 49.95 एचजैड में परिवर्तित होती है तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी)। ग्रिड फ्रिक्वेंसी में किसी गिरावट के लिए इकाई से उत्पादन मशीन क्षमता के अधीन रहते हुए इकाई के एमसीआर के 105% के लिए सीमित 5% की वृद्धि होनी चाहिए।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (i) में निम्नलिखित वाक्य को हटा दिया जाएगा :

"तथापि यदि फ्रिक्वेंसी 49.8 एचजैड से कम होती है, सभी आंशिक रूप से भारित उत्पादन यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र दर पर अतिरिक्त भार को उठाएंगी।"

(3) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (त्र) में, विशेषकर जब "फ्रिक्वेंसी कम हो रही हो या 49.7 एचजैड से कम होती है" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(4) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (ड) में "49.7-50.2 एचजैड" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "49.90-50.05 एचजैड" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (क) में, "जब कभी प्रणाली की फ्रिक्वेंसी 49.8 एचजेड से कम हो" वाक्य को हटा दिया जाएगा।

(6) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (ख) में, "जब कभी फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजैड या निम्न हो" वाक्य को हटा दिया जाएगा।

(7) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"(छ) आरएलडीसी मानक तात्कालिक मैसेज फार्मेट तैयार करेगा ताकि परिशुद्धता पर निर्भर करते हुए विभिन्न अधिक निकासी/कम निकासी/अधिक अंतःक्षेपण/कम अंतःक्षेपण परिस्थितियों पर थोक उपभोक्ता एसएलडीसी/राज्य उपयोगिता/आईएसजीएस/क्षेत्रीय इकाई/अंतःक्षेपण उपयोगिता, द्वारा अनुसूची से विचलन को कम करने के लिए सुरक्षा प्रणाली को खतरे और/या आकस्मिकताओं की दशा में निर्देश दिए जा सके। संबंधित एसएलडीसी/अन्य क्षेत्रीय इकाई आरएलडीसी के इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और संबंधित आरएलडीसी को अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे।"

4. **मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन :**

(1) मूल विनियमों के विनियम 6.4.6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की प्रणाली को वैचारिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझा तथा प्रचालित किया जाएगा। आईएसजीएस से और दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्यकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच व्यवस्थाओं के माध्यम से कान्ट्रेक्ट से अनुसूचित निकासी का बीज गणितीय जोड़ प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की निकासी अनुसूची उपलब्ध करवाएगा और इसे आगामी दिवस के आधार पर अग्रिम में अवधारित किया जाएगा। क्षेत्रीय इकाईयां अपने उत्पादन और/या उपभोक्ताओं के भार को विनियमित करेंगी ताकि उक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके। समयब्लॉक के दौरान अनुज्ञात अधिकतम अनभिप्रेत विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा। इस तरह के विचलन द्वारा प्रणाली के पैरामीटर अनुमोदित सीमा के आगे विकृत नहीं होने चाहिए तथा यह पारेषण लाइनों पर अस्वीकार्य भार का कारण नहीं बनने चाहिए। तथापि, कुल निकासी अनुसूची से इन विचलनों की कीमत, समय-समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विचलन व्यवस्थापन तंत्र के

विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई प्रत्येक 12 समय ब्लॉकों के बाद कम से कम एक बार अनुसूची से विचलन के लक्षण के प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करेगी।"

(2) मूल विनियम के विनियम 6.4.7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"7.एसएलडीसी,एसईबी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी विचलन व्यस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंदर अनुसूची से विचलनों को ध्यान में रखते हुए, निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से राज्य की कुल निकासी को हमेशा नियंत्रित करेंगे। संबंधित एसईबी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी/प्रयोक्ता, एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि खंड 5.4.2 में उल्लिखित स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करे कि यहां कोई अधिक निकासी नहीं हुई है। यदि स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीम अभी आरंभ नहीं की गई है तो अनुसूचियों के अंतर्गत ग्रिड से कुल निकासी को नियंत्रित करने के लिए मैनुअल मांग प्रबंधन योजना के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और स्वचालित मांग प्रबंधन योजना(एडीएमएस) के शीघ्र आरंभ होने के लिए सभी कार्रवाइयां आरंभ की जाएंगी।

(3) मूल विनियम के विनियम 6.4.10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"10. आईएसजीएस से, किसी अनभिप्रेत विचलनों को छोड़कर, उनको निर्देशित दैनिक अनुसूचियों के अनुसार विद्युत उत्पादन करने की सामान्यतः, अपेक्षा की जाती है। समयब्लॉक के दौरान अनुज्ञेय अधिकतम विचलन को विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विचलनों को अनुज्ञेय सीमाओं के आगे ह्रास के लिए प्रणाली पैरामीटर नहीं होना चाहिए और इससे अस्वीकार्य लाईन लोडिंग नहीं होनी चाहिए। पूर्व विद्युत संयत्र उत्पादन अनुसूचियों से अनभिप्रेत विचलनों को, यदि कोई है, विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार समुचित रूप से तय किया जाएगा। इसके अलावा, संकुचन का कारण बनने वाले विचलनों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुसार तय किया जाएगा।"

(4) मूल विनियम के विनियम 6.4.11 को हटा दिया जाएगा।

(5) मूल विनियम के विनियम 6.4.12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"12. उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, संबंधित आरएलडीसी आकस्मिकताओं, अर्थात् लाईनों/ट्रांसफारमरों की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता, प्रणाली सुरक्षा को खतरे की दशा में उनकी निकासी/उत्पादन को बढ़ाने/कम करने के लिए एसएलडीसी/आईएसजीएस/अन्य क्षेत्रीय इकाईयों को निर्देश दे सकेगी। ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि इस स्थिति पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आरएलडीसी के पास विश्लेषण करने का कुछ समय है तो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या यह स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न हुई है और इन्हें फीडरों को खोलने जैसे समुचित उपाय के माध्यम से कार्रवाई करने से पूर्व यदि एसएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा आवश्यक समझा जाए, समाप्त किया जाएगा, जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार आरंभ की गई दीर्घकालिक, मध्यकालिक ग्राहकों या मध्यकालिक ग्राहकों की अनुसूचित आपूर्ति प्रभावित होगी।

यदि अल्पकालिक/मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच को कम किया जाता है तो आरएलडीसी उन कारणों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके कारण बहुत सी अनुसूचियों एवं एजेंसियों से विचलनों को कम करने में समर्थ नहीं था जिससे आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा सकी।"

(6) मूल विनियम के विनियम 6.4.15 को हटा दिया जाएगा।

(7) मूल विनियम के विनियम 6.4.24 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"24. हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों और अंतप्रवाह उतार-चढ़ाव का प्रत्युत्तर दें। समय-ब्लॉक के दौरान अनुज्ञेय अधिकतम विचलन केविविआ विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार होंगे।"

(8) मूल विनियम के विनियम 6.5.9 हटा दिया जाएगा।

(9) मूल विनियम के विनियम 6.5.13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"13. हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप से दी गई अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि किसी दिन में अनुसूचित ऊर्जा पूर्वानुमानित/नियोजित जल उपलब्धता/निकासी पर आधारित उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाघोषित उस दिन को उपलब्ध होने के लिए प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स बस) के समतुल्य होगी। यह भी आशा की जाएगी कि उस दिन उत्पादन केन्द्र द्वारा वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा इस उद्देश्य से घोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी कि जल निकासी की अपेक्षा की पूर्ति कर ली गई है।"

(10) मूल विनियम के विनियम 6.5.17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"17. किसी ग्रिड बाधा की स्थिति में, दीर्घकालिक/मध्यकालिक/अल्पकालिक के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति करने वाले सभी आईएसजीएस के अनुसूचित उत्पादन को उनके वास्तविक उत्पादन के समतुल्य करने के लिए संशोधित माना जाएगा और हिताधिकारियों/क्रेताओं की अनुसूचित निकासियों को ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समयब्लॉकों के लिए संशोधित माना जाएगा। ग्रिड बाधाओं और इसकी अवधि का प्रमाणन आरएलडीसी द्वारा किया जाएगा।

संबंधित आरएलडीसी द्वारा बाधाओं की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी। इस आशय की सूचना उस क्षेत्र के आरएलडीसी द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाली जाएगी जिसमें यह बाधा घटित हुई है। वेबसाइट पर सूचना को दिया जाना आरएलडीसी द्वारा बाधा की घोषणा के रूप में समझा जाएगा। सभी क्षेत्रीय इकाईयां बाधा पर ध्यान देंगी और अपने स्तर पर समुचित कार्रवाई करेंगी।

द्विपक्षीय अल्पकालिक और सामूहिक संव्यवहारों के लिए, ग्रिड बाधाओं की अवधि के लिए लेखों के व्यवस्थापन की प्रणाली राष्ट्रीय विद्युत समिति द्वारा तैयार की जाएगी और उसे अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रणाली में उन दृष्टांतों को सम्मिलित करने के लिए दृष्टांत उदाहरणों सहित सभी संभव परिदृश्यों को सम्मिलित किया जाएगा जहां ग्रिड बाधा या तो आंशिक है या इससे केवल एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है।"

(11) मूल विनियम 6.5.18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"18. क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार सहित दोतरफा टैरिफ (हाइड्रो केन्द्रों को छोड़कर) वाले आईएसजीएस द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण और दिन की शेष अवधि के लिए हिताधिकारी (हिताधिकारियों) द्वारा मांग के अग्रिम नोटिस सहित अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में संशोधित अनुसूचियों/घोषित क्षमता समयब्लॉक की संगणना करते हुए चौथे समयब्लॉक से प्रभावी हो जाएगी जिसमें पुनरीक्षित के लिए अनुरोध प्रथम होने वाले आरएलडीसी में प्राप्त किया गया हो।"

(12) मूल विनियम में 6.5.23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"23. 15.7.2013 से पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की अनुसूची की जाएगी जहां पारेषण या वितरण प्रणाली के लिए कनैक्शन प्वाइंट (जिसे पूलिंग केन्द्र कहा जाता है) से संबद्ध इस प्रकार के संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 10 मैगावाट और उससे अधिक है और कनैक्शन प्वाइंट 3.5.2010 के बाद आरंभ किए गए पूलिंग केन्द्रों के लिए 33 केवी और उससे अधिक है। इससे कम स्तर की क्षमता और वोल्टता स्तर के लिए तथा पुराने पवन फार्मों के लिए (एक पवन फार्म पवन टर्बाइन उत्पादकों का संग्रहण है जो सामान्य कनैक्शन प्वाइंट से संबद्ध है), यथास्थिति, पवन उत्पादक तथा पारेषण या वितरण इकाई के बीच पारस्परिक रूप से विनिश्चित किया जा सके, यदि इसके प्रतिकूल संविदात्मक करार विद्यमान नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा अनुसूची (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) को यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को, अग्रिम नोटिस देते हुए संशोधित किया जा

सकेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा ऐसा संशोधन पहले समयब्लॉक से शुरु होकर उस छठे ब्लॉक से प्रभावी होगा जिसमें नोटिस दिया गया था। दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षणों के अधीन रहते हुए, विशेष दिन के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समयब्लॉक के लिए एक पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(13) मूल विनियम के विनियम 6.5.34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"34. आईएसजीएस द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय, 1 डेसीमल (0.1) मेगावाट का प्रस्ताव किया जाएगा तथा 1 डेसीमल (0.1) मेगावाट घंटे सभी हकदारियों, अध्यपेक्षाओं एवं अनुसूचियों को 0.01 मेगावाट के प्रस्ताव हेतु हर एक संव्यवहार के लिए प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र सीमा पर निकटतम 2 डेसीमलो पर पूर्णांकित किया जाएगा।"

(14) ग्रिड संहिता (प्रतिपूरक वाणिज्यिक तंत्र) के अनुबंध-1 के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"5. पवन उत्पादक 70% की परिशुद्धता तक अपने उत्पादन के पूर्वानुमान लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार, यदि वास्तविक उत्पादन अनुसूची के +/-30% से अधिक है तो पवन उत्पादक को विचलन प्रभारों का वहन करना होगा। अनुसूची के +/-30% के भीतर वास्तविक उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा कोई यूआई संदेय/प्राप्य नहीं होगा। मेजबान राज्य इस विभिन्नता, अर्थात् +/-30% के अंदर के लिए विचलन प्रभारों का वहन करेगा। तथापि, पवन उत्पादक के कारण मेजबान राज्य द्वारा वहन किए गए विचलन प्रभारों को नवीकरणीय विनियामक निधि के माध्यम से प्रचालित नवीकरणीय विनिमय प्रभार के रूप में अभिज्ञात विनियामक प्रभार के रूप में सीईए द्वारा प्रकाशित डाटा पर आधारित पूर्ववर्ती माह में व्यस्ततम मांगों के अनुपात में देश के सभी राज्यों में विभाजित किया जाएगा। यह उपबंध ऐसी तारीख से लागू होगा जो आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

अजय कुमार सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/150/13]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 115 तारीख 28-4-2010 को प्रकाशित किए गए थे, तथा मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 क्रम संख्या 60, तारीख 6 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 6th January, 2014

No. L-1/18/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including the first amendment thereof (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. **Short title and commencement**

(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Second Amendment) Regulations, 2014.

(2) These Regulations shall come into force with effect from 17-2-2014.

2. **Amendment in Regulation 2 of Principal Regulations.-** Following new clauses shall be added after clause (gggg) of sub-Regulation (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under, namely:

"(hhhh) Deviation Settlement Mechanism Regulations means Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 including any subsequent amendments thereof;

68 GI/13-2